राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3 / 1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ.11(76)( )अ.नि. / सान्याअवि / 2022 / जयपुर, दिनाक: मार्च, 2022

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त।

आयुक्त / अधीक्षक पुलिस,
समस्त।

विषयः—अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए संचालित राष्ट्रीय हेल्पलाईन के टोल फ्री दूरभाष नंबर को जिले में प्रचार–प्रसार करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत पीड़ितों / आश्रितों को जानकारी / शिकायत निवारण हेतु दिनांक 13.12.2021 को माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा अत्याचार निवारण की राष्ट्रीय हेल्पलाईन (NHAA) का शुभारम्भ किया गया है। राज्य स्तरीय हेल्पलाईन का टोल फ्री संख्या (24*7) 1800—202—1989 अथवा शॉर्ट कोड 14566 है जो निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर पर स्थित है।

अतः अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाईन के उक्त टोल फ्री दूरभाष नंबर को अपने जिले में प्रचार–प्रसार करावें ताकि पीडित / आश्रितों द्वारा परिवादों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त की जाके।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.11(76)( )अ.नि. / सान्याअवि / 2022 / 1333-75
जयपुर, दिनांक: 09 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, लालकोठी योजना, जयपुर।
6. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निदेशक एवं संयुक्त शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. उप / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करावे।
9. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उक्त टोल फ्री दूरभाष नंबर को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार हेतु।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (अत्याचार निवारण)

Mail ID-ddapjpr.sje@rajasthan.gov.in

Tel. No. 0141-2226637, 2226630